लोक सभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या 989

27 जुलाई, 2015 को उत्तयरके लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए लौह अयस्क की खानें

†989. श्री जैदेव गल्ला:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 20 मिलियन टन की योजनागत क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लौह-अयस्क के ब्लॉक आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बात के क्या कारण हैं कि आरआईएनएल ही एक मात्र ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी है जिसकी अपनी कोई रक्षित लौह अयस्क की खानें नहीं है;

(ग) क्या आरआईएनएल को अपने स्वयं के लौह अयस्क ब्लॉक नहीं होने के कारण कच्चा माल खरीदने के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पा8त और खान राज्यद मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): माइन्सग एण्डब मिनरल्स (डेवलपमेंट एण्ड रेग्यू)लेशन) एक्ट1957, जिसे माइन्सं एण्डए मिनरल्स. (डेवलपमेंट एण्डइ रेग्यूलेशन) एमेडमेंट एक्टे, 2015 से संशोधित किया गया है , के अनुसार राज्य् सरकारों को अधिनियम की धारा 10 ए के अंतर्गत नीलामी विधि के जरिये अथवा धारा 17 ए (2 ए) के अंतर्गत आरक्षण रूट के जरिये खनन पट्टे प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई है। इसलिए , नये खनन पट्टे का आवंटन संशोधन अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाना है।

(ग) से (ड.): लौह अयस्कि की खरीद घरेलू बाजार से हो अथवा अंतराष्ट्री□य बाजार से हो , इस बात का निर्णय कंपनी द्वारा अपनी आवश्यअकताओं वाणिज्यिक विवेक, बाजार गतिशीलता इत्याटदि के आधार पर लिए जाते है।

***